(127) (98)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 3(77)नविवि / 3 / 2010पार्ट–II   जयपुर, दिनांक :– 08 APR 2013

2520
24 APR 2013

संशोधित आदेश

विषय :– हाइवे कन्ट्रोल बैल्ट (प्लान्टेशन कॉरीडोर) की भूमि को खातेदार को आवंटन / लीजडीड दिये जाने या नहीं दिये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ :– विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25.03.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 25.03.2013 के संबंध में कुछ नगर विकास न्यासों मे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसे देखते हुये उपरोक्त आदेश के बिन्दु सं. 1 के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है :–

1. कृषि भूमि के रूपान्तरण हेतु आवेदित भूमि जिसमें राजमार्ग के दोनों ओर प्लान्टेशन कॉरीडोर प्रस्तावित हैं, तो सम्पूर्ण भूमि का रूपान्तरण किया जावें व आदेश मैं यह शर्त अंकित की जाये कि सड़क के निर्धारित मार्गाधिकार छोड़े जाने के पश्चात् मास्टर प्लान में प्रस्तावित प्लांटेशन कॉरीडोर में किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। प्लांटेशन बैल्ट को योजना मे पार्क व खुल स्थल के रूप में निर्धारित क्षेत्रफल में सम्मिलित किया जावें।

18/4/2013
(एन.एल.मीना)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर / अजमेर / भरतपुर / भिवाडी / भीलवाड़ा / बीकानेर / आबू जिला सिरोही / कोटा / उदयपुर / श्रीगंगानगर / जैसलमेर।
8. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति, जविप्रा जयपुर।
9. गार्ड फाईल।

MS (SLC)

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

25/04/13

(303)